फाइल नं0- 71-1001(099)/168/2021

14/2023/।/272983/2023

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 09 फरवरी, 2023**

विषय:- केन्द्र सहायतित नेशनल प्रोग्राम फार प्रिवेशन एण्ड मैनेजमेंट आफ बर्न इन्ज्यूरिज के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा एवं कानपुर में बर्न यूनिट के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2022-23/417, दिनॉक 07.10.2022 के क्रम में अवगत कराना है कि केन्द्र सहायतित नेशनल प्रोग्राम फार प्रिवेशन एण्ड मैनेजमेंट आफ बर्न इन्ज्यूरिज के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा एवं कानपुर में बर्न यूनिट के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निम्नानुसार धनराशि अवमुक्त की गयी:-

(रू0 लाख में)

क्र0सं0	कालेज का नाम	कार्यदायी संस्था	अनुमोदित लागत	शासनादेश संख्या/दिनांक	~~अवमुक्त~~ धनराशि
1	आगरा	सी0एण्ड डी0एस0, जल निगम।	427.30	संख्या-37/2019/515/71-1-2018-जी-388/2013, दिनांक 08.03.2019	207.90 (केन्द्रांश)
				संख्या-110/2021/।/75608/ 2021/71-1001(099)/168/2021, दिनांक 30.06.2021	100.00 (राज्यांश)
				योग-	**307.90**
2	कानपुर	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि0	431.21	संख्या-37/2019/515/71-1-2018-जी-388/2013, दिनांक 08.03.2019	207.90 (केन्द्रांश)
				संख्या-110/2021/।/75608/2021/ 71-1001(099)/168/2021, दिनांक 30.06.2021	100.00 (राज्यांश)
				योग-	**307.90**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 07.10..2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत फण्डिंग पैटर्न (60:40) के अनुसार राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा एंव कानपुर में बर्न यूनिट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में "लेखाशीर्षक-4210-05-105-74-" मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष **मेडिकल कालेज, आगरा हेतु रू0 70.00 लाख राज्यांश के रूप में एवं मेडिकल कालेज, कानपुर हेतु रू0 70.00 लाख राज्यांश के रूप अर्थात् कुल रू0 140.00 लाख (रू0 एक करोड़ चालीस लाख मात्र)** अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदों में किया जायेगा , जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है , किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक /प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7. विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गई धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।
8. प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा एंव कानपुर के मूल वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश में उल्लिखित **शेष शर्ते यथावत् रहेगी।**

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,40,00,000 (रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031057400 राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, गोरखपुर, आगरा तथा प्रयागराज में बर्न यूनिट की स्थापना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-3-492/दस/2022-23, दिनांक 06 फरवरी, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा एंव कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा एवं कानपुर।
5. श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा एवं कानपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम एवं सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।